भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1076

जिसका उत्तर 05.02.2026 को दिया जाना

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क किनारे की सुविधाएं

1076. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में नियोजित, स्वीकृत, निर्माणाधीन और कार्यात्मक सड़क के किनारे की सुविधाओं (डब्ल्यूएसए) की जिलावार संख्या कितनी है और विशेषकर अमलापुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उन राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है जिन पर उक्त सुविधाएं मौजूद हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश में प्रत्येक स्वीकृत और कार्यात्मक डब्ल्यूएसए के लिए साइट-वार प्रदान की गई या प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में स्वीकृत उन डब्ल्यूएसए का ब्यौरा क्या है जो विलंब का सामना कर रहे हैं, तत्संबंधी कारण क्या हैं और उनकी संशोधित समापन समय-सीमा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान डब्ल्यूएसए के विकास/संचालन के लिए जारी की गई निविदाओं का ब्यौरा क्या है, जिसमें आवंटन का तरीका (पट्टा/पीपीपी/राजस्व हिस्सा), रियायतग्राही/पट्टेदार, अनुबंध की अवधि शामिल है और आंध्र प्रदेश में उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में डब्ल्यूएसए के विकास के लिए वर्षवार और परियोजनावार कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है; और

(च) आंध्र प्रदेश में निजी भूमि फ्रेंचाइजी व्यवस्थाओं सहित भूमि और सांविधिक स्वीकृतियों की क्या स्थिति है और लंबित डब्ल्यूएसए को पूरा करने की क्या समय-सीमा है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत सड़क किनारे सुविधाओं (डब्ल्यूएस) के विकास के लिए 36 स्थलों को चिन्हित किया गया है। आज तक, 25 भूमि स्थल आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 5 स्थल चालू हैं। आवंटित डब्ल्यूएस का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) सरकार भूमि की उपलब्धता और व्यवहार्यता के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 40-60 किलोमीटर के अंतराल पर सड़क किनारे सुविधाओं (डब्ल्यूएसए) विकसित करने की परिकल्पना करती है। ये डब्ल्यूएसए ट्रक चालकों सहित सड़क प्रयोक्ताओं को भोजनालय, शौचालय,

पेयजल, पार्किंग, ईंधन स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, अल्पकालिक आवास आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करेंगे।

(ग) डब्ल्यूएसए के संचालन में आने वाली समस्याएं मुख्य रूप से स्थानीय लोगों के विरोध, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों, मुकदमेबाजी, अदालती मामलों आदि के कारण हैं।

(घ) आंध्र प्रदेश राज्य में पीपीपी पद्धति के तहत डब्ल्यूएसए के विकास हेतु 36 स्थलों के लिए बोलियां जारी की गई हैं, जिनमें से 25 स्थल आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 5 कार्यरत हैं। आवंटित डब्ल्यूएसए का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ड.) ये परियोजनाएं पीपीपी मोड पर शुरू की जा रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना या डब्ल्यूएसए के विकास के अलावा कोई अलग आवंटन या व्यय नहीं किया जाता है।

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अधिग्रहित सरकारी भूमि पर सड़क किनारे सुविधाओं की योजना बनाई गई है। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य में सड़क किनारे सुविधाओं के विकास के लिए 25 स्थल आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 5 चालू हैं। शेष 20 स्थलों पर कार्य प्रगति पर है और सभी स्थलों को वित्तीय वर्ष 2027-28 तक चालू करने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क किनारे की सुविधाएं के संबंध में श्री जी. एम. हरीश बालयोगी द्वारा दिनांक 05.02.2026 को पूछे गए लोक लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1076 के भाग (क) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.स.	एनएच. संख्या.	चैनेज (एलएचएस/ आरएचएस)	विवरण	पट्टा अवधि	स्थिति
1	एनएच-16	1023+080 (आरएचएस)	कोलकाता - चेन्नई/एनएच16/1023+080_आरएचएस/विजयवाड़ा/आंध्र प्रदेश	30 वर्ष	सौंपा गया
2	एनएच 44	250+500 (एलएचएस)	बैंगलोर - हैदराबाद/एनएच44/250+500_एलएचएस/ अनंतपुर/आंध्र प्रदेश	30 वर्ष	सौंपा गया
3	एनएच-130 सीडी	373+300 (एलएचएस)	रायपुर-विजाग/आरवी3/पीकेजी एपी1/373+300/एलएचएस/एपी	30 वर्ष	सौंपा गया
4	एनएच-130 सीडी	372+600 (आरएचएस)	रायपुर-विजाग/आरवी3/पैकेज एपी1/372+600/आरएचएस/एपी	30 वर्ष	सौंपा गया
5	एनएच-16	2+200 (एलएचएस)	कृष्णापट्टनम पोर्ट रोड/एनएच16/2+200/एलएचएस/नेल्लोर/आंध्र प्रदेश	30 वर्ष	सौंपा गया
6	एनई-07	142+050 (आरएचएस)	बीसीई/चरण II/पैकेज 03/142+050 / आरएचएस / आंध्र प्रदेश	30 वर्ष	सौंपा गया
7	एनएच-16	33+500 (एलएचएस)	एनएच 16/ 33+500 /एलएचएस/ लक्ष्मी नगरम के पास/आंध्र प्रदेश	15 वर्ष	सौंपा गया

8	एनएच-16	66+800 (आरएचएस)	एनएच16/ 66+800 ए1+ए2/ आरएचएस/ देवरापल्ली बाईपास/ आंध्र प्रदेश	15 वर्ष	सौंपा गया
9	एनएच-16	66+800 (एलएचएस)	एनएच16/ 66+800 ए1+ए2/ लेफ्टएचएस/ देवरापल्ली बाईपास/ आंध्र प्रदेश	15 वर्ष	सौंपा गया
10	एनएच-16	1329+510 (एलएचएस)	एनएच16/1329+510/एलएचएस/गौरवरम/आंध्र प्रदेश	15 वर्ष	सौंपा गया
11	एनएच-16	663+500 (एलएचएस)	एनएच16_663+500_एलएचएस_भोगपुरम_आंध्र प्रदेश	15 वर्ष	सौंपा गया
12	एनएच 40	263+220 (आरएचएस)	एनएच40_263+220_आरएचएस_येर्रागुंटला _आंध्र प्रदेश	15 वर्ष	सौंपा गया
13	एनएच 40	214+300 (एलएचएस)	एनएच40_214+300_एलएचएस_ध्रुवर _आंध्र प्रदेश	15 वर्ष	सौंपा गया
14	एनएच-544डी	234+850 (एलएचएस)	एनएच544डी_234+850_एलएचएस_गदलुर _आंध्र प्रदेश	15 वर्ष	सौंपा गया
15	एनएच-544डी	307+504 (आरएचएस)	एनएच544डी_307+504_आरएचएस_गिद्दलुरु _विनुकोंडा _आंध्र प्रदेश	15 वर्ष	सौंपा गया
16	एनई-07	137+400 (एलएचएस)	बीसीईई/चरण ।।पैकेज 03/ 137+400/एलएचएस/आंध्र प्रदेश	30 वर्ष	सौंपा गया
17	एनएच 65	258+100 (आरएचएस)	एनएच-65/नंदीगामा-विजयवाड़ा/258+100/आरएचएस/ इब्राहिमपटनम/ आंध्र प्रदेश	30 वर्ष	सौंपा गया
18	एनएच 65	225+240 (एलएचएस)	एनएच-65/नंदीगामा-विजयवाड़ा/आरएचएस/नंदीगामा/ आंध्र प्रदेश	30 वर्ष	सौंपा गया

19	एनएच 65	252+750 (एलएचएस)	एनएच-65/नंदीगामा-विजयवाड़ा/252+750/ एलएचएस/त्रिलोचन पुरम/ आंध्र प्रदेश	30 वर्ष	सौंपा गया
20	एनएच - 216ए	904+100 (एलएचएस)	एनएच-216A/ऑटोनगर राजामहेंद्रवरम/आंध्र प्रदेश	30 वर्ष	सौंपा गया
21	एनएच -16	513+255 (एलएचएस)	एनएच16_513+255_एलएचएस_हरिपुरम _आंध्र प्रदेश	15 वर्ष	साइट परिचालन में है
22	एनएच -16	33+900 (आरएचएस)	गुंडुगोलानु-देवरापल्ली-कोवुरु/एनएच16/33+900/ आरएचएस/लक्ष्मी नगरम/एपी	15 वर्ष	साइट परिचालन में है।
23	एनएच -16	1331+170 (आरएचएस)	गौरावराम/एपी किमी 213.420 से किमी 213.735 (एलएचएस) (नया किमी 1331+170 दाएं)	15 वर्ष	साइट परिचालन में है
24	एनएच 44	387+388 (एलएचएस)	अनंतपुर - बैंगलोर खंड/एनएच44/387+388/ बाएँ हाथ/अनंतपुर जिला/आंध्र प्रदेश	30 वर्ष	साइट परिचालन में है
25	एनएच 65	257+750 (एलएचएस)	हैदराबाद - मछलीपट्टनम/एनएच65/257+750_एलएचएस/विजयवाड़ा/आंध्र प्रदेश	30 वर्ष	साइट परिचालन में है

*****